

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—48/2019/225 (2019/00048)

1. नारायणसिंह पुत्र नरभूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नान्दला, पुलिस थाना, नसीराबाद सदर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. शम्भूसिंह पुत्र केसरसिंह,
2. लालसिंह पुत्र केसरसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम नान्दला, पुलिस थाना, नसीराबाद सदर, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये कार्यालय तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला जयपुर दिनांक 25.9.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 77/2015.

उपस्थित:—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुखदेव चौधरी, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांक:—30.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 25.9.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी०न्याया० में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नान्दला में अवस्थित है जिसका खाता संख्या 352/233 किता 11 रकबा 5.05 है० है । दावाकृत भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नारायणसिंह पुत्र नरभूसिंह राजपूत खातेदार दर्ज है तथा दावाकृत भूमि में प्रार्थी वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी का ही काबिज काश्त है । परन्तु प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में हाल खसरा नंबर 66 रकबा 0.22 है०, खसरा नंबर 3357 रकबा 0.73 है० पर दिनांक 1.9.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा करने के आशय से जबरदस्ती बलपूर्वक मौके पर कांटे पटकना शुरू कर दिया और फसल काटने की खुले रूप में धमकी दी । अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को येनकेन प्रकारेण हड़पना चाहते हैं जिनको रोकने के लिये व्यादेश ही अंतिम विकल्प है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण

- को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी को खातेदारी भूमि से महरूम नहीं करे तथा किसी प्रकार का अवैध कब्जा कारित नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा अतिक्रमण नहीं करे । विद्वान अधी०न्याया० ने अपने आदेश दिनांक 25.9.2018 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया । रेस्पो० के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
 4. विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम नान्दला अवस्थित भूमि खाता संख्या 352/233 कुल रकबा 5.05 है० आराजियात अपीलांत की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उपरोक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 66 रकबा 0.22 है०, खसरा नंबर 3357 रकबा 0.73 है० पर दिनांक 1.9.2015 को अप्रार्थीगण ने अवैध कब्जा करने के आशय से जबरदस्ती बलपूर्वक मौके पर कांटे पटकना शुरू कर दिया और फसल काटने की खुले रूप में धमकी दी । अप्रार्थीगण प्रभावशील एवं अधिक संख्या में होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने के आशय से लड़ाई झगड़ा करते हैं जबकि अप्रार्थीगण का विवादित आराजियात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । प्रार्थी/अपीलांत वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलांत के पक्ष में साबित था तथा यदि रेस्पो० अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते हैं तो अपूर्णाय क्षति भी अपीलांत को ही होती है किन्तु अधी०न्याया० ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । बहस में यह भी कथन किया कि खसरा गिरदावरियों से भी अपीलांत के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है तथा विवादित आराजियात अपीलांत एवं रेस्पो० की पुश्तैनी आराजियात नहीं है बल्कि अपीलांत की खातेदारी भूमियां हैं । अधी०न्याया० ने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे तथा रेस्पो० को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।
 5. विद्वान वकील अपीलांत ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के आदेश की प्रति उनके अधिवक्ता ने दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त कर ली थी किन्तु पक्षकार आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका तथा पक्षकार द्वारा दिनांक 8.2.2019 को अपने अधिवक्ता से मुकदमें की जानकारी करने हेतु संपर्क किया तो आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
 6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । विवादित आराजियात अपीलांत एवं रेस्पो० की पुश्तैनी आराजियात है एवं पारिवारिक बंटवारे से उक्त आराजियात में अधिक हिस्सा अपीलांत के नाम दर्ज हो गया है । खाता संख्या 352/233 के हाल खसरा नंबर 66 रकबा 0.22 है० एवं खसरा नंबर 3357 रकबा 0.73 है० पर रेस्पोडेंटस अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसको अपीलांत ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है । यह आराजियात पारिवारिक बंटवारे में रेस्पो० को प्राप्त हुई थी । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रथमदृष्टया केस, सुविधा

का संतुलन तथा अपूर्ण्य क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में अपीलांट खातेदार काश्तकार है । अधी०न्याया० ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने से पूर्व विवादित आराजियात पर किस का कब्जा काश्त इस संबंध में उभयपक्ष पक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना साक्ष्य के [अप्रार्थीगण/रेस्पो०](#) का कब्जा काश्त मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने विवादित भूमि पर [अप्रार्थीगण/रेस्पो०](#) का कब्जा काश्त होना माना है किन्तु कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया है । अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।
9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।
10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी०न्याया० उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.2018 निरस्त किया जाता है कि तथा प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जे काश्त के संबंध में साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर